(4)

व् अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

आर0 ई0 आर0 केश सं0–62 / 2016–17

कमलेश कुमार सिंह

बनाम्

गुलाबी साह वगैरह

12/10/19

–: आदेश :–

अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्त्तमान प्रक्रिया आवेदक कमलेश कुमार सिंह, पे0–स्व0 विजय कुमार सिंह, सा0–कुम्हार टोला पन्दाहा, थाना–गोड्डा नगर, अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् मौजा–सुन्दरमोर के जमाबंदी सं0–55, दाग नं0–1380, रकवा–01–09–03 धुर जमीन से विपक्षी गुलाबी साह, पे0–बोदी दयाल साह वो निर्मल साह, पे0–स्व0 लक्ष्मण साह वो लालमोहन महतो, पे0–स्व0 रामचन्द्र महतो, सभी साकिनान–सुन्दरमोर प्रधान टोला, थाना–गोड्डा (मु0) वो बसंत साह, पे0–नामालूम, सा0–सुन्दरमोर हटिया टोला, थाना–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने के लिए प्रारंभ किया गया है।

आवेदक का आवेदन है कि मौजा–सुन्दरमोर, थाना नं0–543, जमाबंदी सं0–55 गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा में तिलक सिंह वल्द् बसबीत सिंह वो जनक सिंह वल्द् अमीका सिंह के नाम से दर्ज है। जनक सिंह अपने पीछे एक पुत्र विजय कुमार सिंह को छोड़कर फौत कर गये। विजय कुमार सिंह भी अपने पीछे तीन पुत्र कमलेश कुमार सिंह वो यशवंत सिंह वो संजीव कुमार सिंह को छोड़कर फौत कर गये। आवेदक प्रश्नगत जमाबंदी के अंतर्गत दाग नं0–1380, रकवा–01–09–03 धुर जमीन को जोत आबाद कर फसल उपजाते है तथा खजाना रसीद भी कटाते आ रहे है। लेकिन आवेदक का घर मौजा–सुन्दरमोर से दुर रहने के कारण मौजा–सुन्दरमोर के जमाबंदी सं0–56 के अलावे दाग नं0–1380 की जमीन रकवा–01–09–03 धुर जमीन भी कुछ वर्षो से भावली पर विपक्षीगण को दिये है। वे लोग उक्त जमीन का आधा फसल आवेदक को देते आ रहे थें। लेकिन इस वर्ष प्रश्नगत जमीन का आधा फसल देने से विपक्षीगण ने इन्कार किया। इस प्रकार विपक्षीगण ने प्रश्नगत जमीन को अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है। आवेदक ने विपक्षीगण को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगण का कथन है कि प्रश्नगत जमीन मौजा–सुन्दरमोर, जमाबंदी सं0–55 गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा में तिलक सिंह, पे0–वासबीत सिंह वो जनक प्रसाद सिंह, पे0–अमीका सिंह के नाम से दर्ज है। दोनों जमाबंदी रैयत ने प्रश्नगत जमाबंदी की जमीन को आपसी पारिवारिक समझोता के तहत् बँटवारा कर लिया है। प्रश्नगत दाग नं0 के जमीन के अलावे अन्य जमीन जमाबंदी रैयत जनक प्रसाद सिंह के हिस्से में आया। कालान्तरं में जमाबंदी रैयत

जनक प्रसाद सिंह ने प्रश्नगत जमीन को भूदान यज्ञ कमिटि, देवघर को दान कर दिया। भूदान यज्ञ कमिटि, देवघर ने प्रश्नगत दाग नं0–1380 के अंदर निम्नांकित व्यक्तियों के नाम से उसके सामने अंकित जमीन का दिनांक–13/11/1963 को भूदान पट्टा निर्गत किया गया :–

1. फूलेश्वरी देवी, पति–शिवनारायण महतो – रकवा–00–07–05 धुर
2. निरासी देवी, पति–हरिहर साह – रकवा–00–07–06 धुर
3. बोदी दयाल साह, पे0–अकलु साह – रकवा–00–07–06 धुर
4. लक्ष्मण साह, पे0–अकलु साह – रकवा–00–07–06 धुर

उनलोगों का कथन है कि भूदान पट्टा प्राप्त फुलेश्वरी देवी, विपक्षी सं0–03 लालमोहन महतो के दादी है। निरासी देवी विपक्षी सं0–04 के माता है, बोदी दयाल साह, विपक्षी सं0–01 के पिता है तथा लक्ष्मण साह, विपक्षी सं0–02 के पिता है। उक्त भूदान पट्टा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के भूदान केश नं0–4634/57–58 आदेश दिनांक–12/09/1961 के द्वारा सम्पुष्ट किया गया है तथा भूदान बंदोवस्तदार के नाम से जमीन का भूदान मुटेशन केश नं0–10/ख/1965–66 के द्वारा भूमि का नामांतरण भी हो गया है एवं पंजी–II में भी नाम दर्ज है तथा भूदान बंदोवस्तदार के नाम से मालगुजारी रसीद भी अद्यतन निर्गत किया जा रहा है। उनलोगों का आगे कथन है कि प्रश्नगत जमीन पर उनलोगों का मकान निर्मित है। प्रश्नगत जमीन पर वे लोग अवैध ढंग से दखलकार नहीं, बल्कि भूदान से प्राप्त जमीन पर वैध ढंग से दखलकार है। इस प्रकार विपक्षीगण के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 का उल्लंघन नहीं किया गया है। विपक्षीगण ने आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–सुन्दरमोर, जमाबंदी सं0–55 गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा में तिलक सिंह वल्द् बासगीत सिंह वो जनक सिंह वल्द् अमीका सिंह कौमा–छतरी, सा0–पन्दाहा के नाम से दर्ज है। भूदान यज्ञ कमिटि, देवघर के द्वारा भू0नं0–38876 से निरासी देवी, पति–हरिहर साह वो भू0नं0–38843 से लक्ष्मण साह, पे0–अकलु साह वो भू0नं0–38862 से बोदी दयाल साह, पे0–अकलु साह वो भू0नं0–38897 से फुलेश्वरी देवी, पति–शिवनारायण महतो के नाम भूदान पट्टा निर्गत है एवं भूदान पट्टा बंदोवस्तदार के नाम अंचल अधिकारी, गोड्डा के भूदान दाखिल खारिज केश नं0–10(ख)/65–66 के द्वारा प्रश्नगत जमीन का नामांतरण भी किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण प्रश्नगत जमीन पर अवैध ढंग से दखलकार नहीं है, बल्कि भूदानी पट्टा के आधार पर दखलकार है। इस प्रकार यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 का उल्लंघन का मामला प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।